राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(16)ग्राविवि/इंआ/शौचालय/अनु–5/2013–14 जयपुर, दिनांक 06 जून, 2013

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम,
   राजस्थान।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
   अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला परिषद, राजस्थान।

विषयः– योजनाओं में तालमेल के सम्बन्ध में शौचालयों के निर्माण के लिए एन.बी.ए. के अर्न्तगत प्रदान की गई निधियों का आई.ए.वाई. के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

महोदय,

ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–जे–11012/2/2006/आर.एच. (खण्ड–II) दिनांक 16.05.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि शौचालयों के निर्माण के लिए निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) के अर्न्तगत आई.ए.वाई. के लाभार्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

<u>भारत सरकार द्वारा इस सम्बंध में निम्न मुख्य–मुख्य निर्देश जारी किये गये हैंः–</u>

1. एन.बी.ए. सहायता आई.ए.वाई. के सभी लाभार्थियों के लिए प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध होगी चाहें वे उन ग्राम पंचायतों, जिन्हें राज्य द्वारा सैचुरेशन एप्रोच के अर्न्तगत निर्मल ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित किये जाने के लिए चुना गया हैं, में निवास करते हो या नहीं।
2. उक्त निर्णय को कियान्वित करने के लिए आई.ए.वाई. के लक्ष्यों की जानकारी भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने पर यह जानकारी राज्य स्तर और जिला स्तर पर एनबीए की कार्यकारी एजेन्सी अर्थात राज्य जल और स्वच्छता मिशन (SWSM) और जिला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM) को दी जावेगी।
3. जिला स्तर पर आई.ए.वाई. के लक्ष्यों की प्राप्ति के तत्काल पश्चात जिला परिषद् ब्लॉक और ग्राम पंचायत वार लक्ष्य निर्धारित कर इसकी सूचना जिला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM) को प्रेषित करेगी। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात आई.ए.वाई. के मकानों के सम्बन्ध में DWSM जिला परिषद को दो किश्तों में निधियों को अन्तरित करेगा। प्रथम किश्त कुल राशि की 50 प्रतिशत होगी। जिला परिषद् (ग्राविप्र) को इस हेतु उपलब्ध राशि का कम से कम 60 प्रतिशत राशि व्यय कर एवं एनबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र/ए.एस.ए. प्रस्तुत किये जाने पर ही दूसरी किश्त जारी की जावेगी। महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGS) निधियों का भी उपयोग महात्मा गांधी नरेगा के दिशा निर्देशानुसार किया जाये। जिला परिषद द्वारा नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट भेजी जायेगी।
4. मकानों के साथ ही शौचालयों का निर्माण किया जावें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी हैं कि जिला परिषद् शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही आईएवाई/एनबीए लाभार्थी को आईएवाई एवं एनबीए निधियों की अन्तिम किश्त जारी करें। अन्तिम किश्त एनबीए दिशा निर्देशों में शौचालय के निर्माण एवं इस्तेमाल हेतु पैरा 5.4.2 मे दर्शाई गई अधितम एनबीए सहायता से कम नहीं होगी।

पेयजल और स्वछता मंत्रालय (एनबीए) भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रावधान (5.4.2) निम्नानुसार हैं :–

"एक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए बीपीएल/निर्धारित एपीएल परिवारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि 4600/– रू. होगी। इसमें से केन्द्रीय अंश राशि 3200/– रू. एवं राज्यांश 1400/– रू. होगी। लाभार्थी का नगद अथवा श्रम के रूप में न्यूनतम हिस्सा 900/– रू. होगा। केन्द्रीय और राज्य सहायता से बनाए गए सभी मकानों मे अपरिहार्य रूप से इसके अनिवार्य अंग के रूप में उपयुक्त स्वच्छता सुविधाऐं होनी चाहिए। तथापि आईएवाई या किसी अन्य राज्य ग्रामीण आवास योजना (यथा सीएमबीपीएल इत्यादि) के अर्न्तगत लाभार्थियों द्वारा बनाए गए सभी मकान, जिसमें शौचालय नहीं थे, एन.बी.ए. के अर्न्तगत लक्षित समूहों हेतु स्वच्छता सुविधाओं के सृजन के प्रयोजनार्थ उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन के भी पात्र होगें।

जिला परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बनाये जाने वाले आई.ए.वाई. मकानों की सूची उपलब्ध कराएगी ताकि वार्षिक कार्यन्वयन योजना (ए.आई.पी.) में जिलों के एनबीए लक्ष्य के हिस्से के रूप में लिया जा सकें।

उक्त शौचालय निर्माण का कन्वजैन्स "महात्मा गांधी नरेगा" से विभागीय पत्रांक दिनांक 14.05.2012 एवं 21.06.2012 द्वारा किया गया हैं जिसके तहत रू. 4500/– की अधिकतम सहायता राशि मस्ट्रोल (20 अकुशल एवं 6 कुशल दिवस) के आधार पर देने का प्रावधान हैं। इस प्रकार आवास अनुदान सहायता के अलावा शौचालय हेतु उपरोक्तनुसार अधिकतम अतिरिक्त सहायता लागत रू 9100/– (रू.4600 + रू.4500) देय हैं।

अतः आप प्रति वर्ष लक्ष्यानुसार लाभार्थियों की सूची जिला जल और स्वच्छता मिशन को भिजवाना एवं प्रत्येक आईएवाई आवास के साथ शौचालय निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

06/06/13.

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 मन्त्री/राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, नरेगा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष, जिला स्वच्छता मिशन, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, आवासीय योजना/मनरेगा/एन.बी.ए., जिला परिषद, राजस्थान को पालनार्थ।
9. समस्त विकास अधिकरी एवं सहायक अभियन्ता (नरेगा), पंचायत समिति, राजस्थान को पालनार्थ।
10. समस्त जिला समन्वयक, जिला परिषद, "निर्मल भारत अभियान" राजस्थान को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

06/06/13
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)